OFFICE OF THE PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE SOUTH-WEST DISTRICT, DWARKA COURTS

AUCTION NOTICE

The condemned articles lying at 2nd basement, Administrative Block, Dwarka Court Complex will be auctioned on 28.02.2024 at 02:00 pm in D-wing, ground floor, Dwarka Court Complex on 'AS IS WHERE IS BASIS'. The articles to be auctioned and reserve price of the same as under"-

S. No.	Name of Article	Total Quantity	Reserve Price (per piece)	Total (Rs.)
1.	Visitor Chair	600	160/- 140/- 150/- 550/- 380/- 150/- 120/- 300/- 600/- 100/-	96000/- 10500/- 22500/- 55000/- 34200/- 3000/- 3000/- 3000/- 2500/-
2.	Wooden Chair	75		
3.	Computer Revolving Chair	150		
4.	Iron/ Steel Bench	100 90 20 25 20 05		
5.	Clerk Table			
6.	Hot Case Table Desk			
7.				
8.	Officer Revolving Chair			
9.	Sofa			
10.	Notice Board	25		
11.	Wall Clock	25	10/-	250/-
12.	Table Lamp	05	25/-	125/-
13.	Photocopier Machine	- 04	2000/-	8000/-
			Total	244075/-

Apart from the above items, wheel chairs, iron shelves and items recovered from pool car, empty toner of photocopier machine (plastic) and newspapers and other papers (waste) will also be auctioned at the following price according to their weight.

The applicable rate on iron (scrap)- Rs. 37/- Per Kg., plastic (scrap)- Rs. 20/- Per Kg., copper- Rs. 600/- Per Kg., Rabbar- Rs. 10/- Per Kg. and newspaper and other paper (waster-Rs. 27/- Per Kg. will be in addition to the above reserve price.

The taxes as applicable shall be extra/in addition to aforesaid reserve price. The participant will have to deposit Rs. 10,000/-(refundable) alongwith one copy of photo identity card with Incharge, Caretaking Branch, Dwarka Court, New Delhi before 02:00 pm on 28.02.2024 i.e. the day of auction. 25% of total auction price will be collected from successful bidder in cash on the fall of hammer and the condemned articles will have to be removed according to Terms and Conditions from the court premises.

The intending bidder can inspect the articles on any working day between 02:00 pm to 04:00 pm. Other information can be collected from the Caretaking Branch, Dwarka Courts, New Delhi, terms and condition apply. The participants may also visit the official website i.e. www.delhidistrictcourts.nic.in for other information. The auction shall be subject to other Terms and Condition as described below and shall be announced of the spot.

Chairman, Condemnation Board, O/o Ld. Principal District & Sessions Judge South-West, Dwarka Court, New Delhi

(Pankaj Gupta)

OFFICE OF THE PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE SOUTH-WEST DISTRICT, DWARKA COURTS

TERMS AND CONDITIONS

That condemned furniture articles shall be auctioned on 28.02.2024 at 02:00 pm "AS 1. IS WHERE IS BASIS" in D-wing, Ground floor, Dwarka Court Complex, New Delhi.

That reserved price of all condemned articles is fixed Rs. 2,44,075/-. 2.

That the bidder shall be required to deposit Rs. 10,000/- (refundable) in cash 3. alongwith one copy of photo identitycard with Incharge, Caretaking Branch Dwarka Courts, New Delh before 28.02.2024 at 02:00 pm on the day of auction.

The successful bidder shall deposit 25% of the bid value on the acceptance of the bid 4.

in cash as per rule 220(iv) of GER-2017.

That total auction price will be deposited by the successful bidder within three 5. working days (excluding bank holiday) in the shape of demand draft drawn in favour of the Principal District & Sessions Judge (South-West), Dwarka Courts, New Delhi. In case of default, the deposit of 25% amount shall stand forfeited.

The condemned articles will be removed within seven days after deposit of payments 6. positively from the court premises.

- The bidder shall arrange his own labour and transport for removal of condemned 7. articles from Dwarka Court and expenses of such transportation shall be borne by him.
- That decision of the condemnation board shall be biding upon the bidder and it can 8. cancel the auction without assigning any reason.
- That condemnation board reserves right to add or delete any of terms and conditions at 9. the time of auction proceedings and the same shall be binding upon all bidders/participants.

Chairman, Condemnation Board O/o Ld. Principal District & Sessions Judge

South-West, Dwarka Court, New Delhi

B/DWK/2024

Copy forwarded for information and compliance to:-

The PS to Ld. Principal District & Sessions Judge, South-West, Dwarka Courts, New Delhi.

The Incharge(s), Computer Branch of all the District Court Complexs in Delhi/New 2. Delhi with the request to upload the Auction Notice alongwith Terms & Conditions on their respective website of District Court.

Branch Incharge(s), Caretaking Branch, Central, West, South, South-East, Shahdara, 3. North- East, East, South-West, North West and North, RACC, Delhi with the request to paste the auction notice on the notice boards of their respective court complexes.

Incharge, Nazarat Branch, Dwarka Court Complex with the request to direct the 4. concerned process server to paste copies of the auction notice on the conspicuous places at Mayapuri Scrap Market.

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश: दक्षिण-पश्चिम जिला द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली

नीलामी सूचना

जिला न्यायालय द्वारका के बेसमेंट-२ में बेकार पड़ी वस्तुओं की नीलामी 28.02.2024 को दोपहर 02:00 बजे डी- िग, भूतल में "जैसा है जहाँ है के आधार" पर की जाएगी। नीलाम की जाने वाली वस्तुएँ एवं उनका आरक्षित मूल्य इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	वस्तुओं का विवरण	मात्रा	आरक्षित मूल्य नीलामी (प्रति पीस)	कुल राशि
1	आगंतुक कुर्सियाँ	600	160/-	96000/-
2	लकड़ी की कुर्सियाँ	75	140/-	10500/-
3	घूमने वाली कुर्सियाँ (कंप्यूटर कुर्सी)	150	150/-	22500/-
4	बेंच (लोहा)	100	550/-	55000/-
5	क्लर्क टेबल (लोहा)	90	380/-	34200/-
6	हॉट केस	20	150/-	3000/-
7	टेबल डेस्क	25	120/-	3000/-
8	ऑफिसर रिवॉल्विंग कुर्सी	20	300/-	6000/-
9	सोफा	05	600/-	3000/-
10	नोटिस बोर्ड	25	100/-	2500/-
11	दीवार घड़ी	25	10/-	250/-
12	टेबल लैंप	05	25/-	125/-
13	फोटोकोपिएर मशीन	04	2000/-	8000/-
			कुल	244075/-

उपरोक्त वस्तुओं के अलावा, व्हील चेयर, लोहे की अलमारियां और पूल कार से प्राप्त सामान, फोटोकोपिएर मशीन के खाली टोनर (प्लास्टिक) और अखबार और अन्य कागज़ (रद्दी) को भी उनके वजन के अनुसार निम्नलिखित कीमत पर नी जाम किया जाएगा।

लोहा (स्क्रैप)-37/- रूपए प्रति किलोग्राम, प्लास्टिक (स्क्रैप)- 20/- रूपए प्रति किलोग्राम, तांबा- 600/- रूपए प्रति किलोग्राम, रबड़- 10/- रूपए प्रति किलोग्राम और अखबार और अन्य कागज़ (रद्दी) 27/- रूपए प्रति किलोग्राम लागू कर उपर क्त आरक्षित मूल्य के अतिरिक्त होंगे।

नीलामी के दिन यानि 28.02.2024 को दोपहर 02:00 बजे से पहले प्रतिभागी को रूपए- १०,०००/- (वापसी याय) अपनी फोटो पहचान पत्र की एक प्रति के साथ शाखा प्रभारी, देख-रेख शाखा, 104-A, प्रशासनिक खण्ड, द्वारका न्यायालय नई दिल्ली को जमा करने होंगे। सफल बोली लगाने वाले से बोली स्वीकार होने पर कुल नीलामी मूल्य का २५% नकद वसूल किया जाएगा। बेकार वस्तुओं को नियम एवं शर्तों के अनुसार न्यायलय परिसर से हटाना होगा।

इच्छुक बोलीदाता किसी भी कार्य दिवस पर दोपहर 02:00 बजे से 04:00 बजे के बीच वस्तुओं का निरीक्षण कर सकता है। अन्य जानकारी देख-रेख शाखा, द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली से एकत्र की जा सकती है, नियम और शर्तें लागू। प्रतिभागी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट यानी www.delhidistrictcourts.nic.in पर जा सकते हैं। नीलामी नीचे दिए गए नियमों और शर्तों के अधीन होगी और इसकी घोषणा मौके पर ही की जाएगी।

(पंकज गुप्ता)

अध्यक्ष, निराकरण बोर्ड

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण-पश्चिम जिला, द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली।

Land.

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश: दक्षिण-पश्चिम जिला द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली

नियम व शतें

- निष्क्रिय/बेकार वस्तुओं की नीलामी। 28.02.2024 को दोपहर 02:00 बजे डी- विंग, भूतल, द्वारका कोर्ट में "**जैसा है** ज**हाँ है के आधार"** पर की जाएगी।
- ः सभी निष्क्रिय/बेकार वस्तुओं का आरक्षित मूल्य रूपए 244075/- निर्धारित किया गया है।
- ं. बोली लगाने वाले को रूपए १००००/- (वापसी योग्य) अपनी फोटो पहचान पत्र की एक प्रति के साथ शाखा प्रभारी, देख-रेख शाखा, द्वारका न्यायलय, नई दिल्ली को जमा करने होंगे।
- 4. सफल बोलीदाता को नियम २२०(iv) एफ जीएफआर-२०१७ के अनुसार बोली की स्वीकृति पर बोली मूल्य का २५% नकद जमा करना होगा।
- जुल नीलामी मूल्य योग्य बोलीदाता द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (दक्षिण-पश्चिम), द्वारका कोर्ट, नई दिल्ली के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के रूप में तीन कार्य दिवसों (बैंक अवकाश को छोड़कर) के भीतर जमा किया जाएगा। अप्राप्ति के मामले में, जमा राशि का २५% जब्त कर लिया जाएगा।
- 6. भुगतान जमा होने के सात दिन के भीतर निष्क्रिय/बेकार वस्तुएँ न्यायालय परिसर से हटा दी जानी चाहिए अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- ं निष्क्रिय/बेकार वस्तुओं को द्वारका न्यायालय परिसर से हटाने के लिए सफल बोलीदाता स्वयं श्रमिक और परिवहन की व्यवस्था करेगा और ऐसे परिवहन का खर्च उसके द्वारा ही वहन किया जाएगा।
- ि. निराकरण बोर्ड का निर्णय बोली लगाने वाले के लिए बाध्यकारी होगा और वह बिना कोई कारण बताए नीलामी रद्ध कर सकता है।
- ी. निराकरण बोर्ड नीलामी की कार्यवाही के समय किसी भी नियम और शर्तों को जोड़ने या हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यह सभी बोलीदाताओं/प्रतिभागियों के लिए बाध्यकारी होगा।

(पंकज गुप्ता) अध्यक्ष, निराकरण बोर्ड

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

2382 - 2406 चंख्या......देख-रेख शाखा/द्वारका न्यायलय/नई दिल्ली/2024

प्रति सूचना एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित :-

निजी संचिव कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला दक्षिण-पश्चिम, द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली।

रभी शाखा प्रभारि, कंप्यूटर शाखा, जिला केंद्रीय, पश्चिमी, दक्षिण-पूर्व, नई दिल्ली, शाहदरा, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पिश्चिम, आरएसीसी, दिल्ली से अनुरोध है कि नीलामी सूचना एवं नियम व शर्तें अपनी सम्बंधित वेबसाइट पर अपलोड करें।

सभी शाखा प्रभारी, देख-रेख शाखा, जिला केंद्रीय, पश्चिमी, दक्षिण-पूर्व, नई दिल्ली, शाहदरा, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, आरएसीसी, दिल्ली से अनुरोध है कि नीलामी सूचना को सम्बंधित सूचना- पष्ट पर चिपकायें।

4. प्रभारी, नजारत शाखा, जिला न्यायालय द्वारका से अनुरोध है कि मायापुरी स्क्रैप मार्केट के क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर नीलामी नोटिस की प्रतियां चिपकाने के लिए सम्बंधित प्रोसेस सर्वर को निर्देशित करें।